A-123

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का बुढना नगेला–भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

————————————संलग्न है————————————

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

Je(1) Copy

सेवा में,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- / अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) / 2014-15 दिनॉक 10 फरवरी 2015

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 मे विभागीय जिला योजना के अन्तर्गत कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 497 / XXVII/(1)/2014 वित्त अनुभाग-1दिनांक 29 मई 2014 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में जिला योजना के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) में कुल धनराशि रू0 344598 (हजार रू0 में) एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या-30) में धनराशि 78516 (हजार रू0 में) एवं टी0एस0पी0 (अनुदान संख्या-31) में कुल धनराशि 13086 (हजार रू0 में) जिनका कुल योग 436200 (हजार रू0 में) है, जो कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखी गई है।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-747 / 405-वा0जि0यो0 / रा0यो0आ0 / 2013 दिनॉक 04 जुलाई 2014 के द्वारा चालू योजनाओं हेतु गत वर्ष 2013-14 में विभागवार / योजनावार अनुमोदित परिव्यय को आधार मानते हुए 50 प्रतिशत की सीमा तक चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धनराशि आहरित कर ली गयी है। पुनश्च प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1149 / 405-वा0जि0यो0 / रा0यो0आ0 / 2013 दिनॉक 05 नवम्बर 2014 के द्वारा शासन में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि जिला योजना के अन्तर्गत संचालित चालू योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धनराशि अवमुक्त कर ली जाय। जिससे विकास कार्यक्रमों की प्रगति में निरन्तरता बनी रहे।

वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग का अनुमोदित परिव्यय 1015.26 लाख रू0 को आधार मानते हुए नई योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष में 2014-15 के लिए सामान्य (अनुदान संख्या-7) में 172.15 लाख रू0 एवं एस0सी0पी0 (अनुदान संख्या-30) में 118.85 लाख रू0 कुल धनराशि 291.00 लाख रू0 (दो करोड इक्कानब्बे लाख रू0 मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उक्त बजट की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला नियोजन समिति द्वारा पूर्व वर्षो की अनुमोदित कार्यो पर मात्राकृत
1- आयोजनागत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा।
अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति की जा रही है।
2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के
3- अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृतियॉं अवश्य प्राप्त की ली जायें।
किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार
4- प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया
5- जायेगा। योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यो का विवरण नियोजन विभाग एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
स्वीकृत धनराशि के कराये जा रहे विभिन्न कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी
6- होंगें।

Raghav

/नराशि का उपयोगोपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में विभागीय मानकों का कडाई से पालन किया जाये। निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण का निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष का होगा।

9-- योजनाओं की माहवार /भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जनपदीय नियोजन विभाग/मण्डल/शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10-- स्वीकृति की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार अनुमोदित प्लान आलेख एवं योजना के अनुसार धनराशि का आहरण एवं उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। आहरित धनराशि का व्यय दिनॉक 31-03-2015 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।

11-- अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 497/XXVII/(1)/2014 वित्त अनुभाग-1 दिनांक 29 मई 2014 एवं प्रमुख सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-747/405-वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2013 दिनॉक 04 जुलाई 2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी (जिला योजना) एवं कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

12-- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24 मार्च 2008 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलास्तर/मण्डलस्तर पर गठित तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से योजनाओं के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाय।

13-- शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14-- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष को बुक ट्रॉसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15-- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नही रखी जायेगी।

16-- सम्बन्धित विभाग ऑन लाईन बजट आवंटन के पश्चात अपने डी0डी0ओ0 मॉडयूल से बजट को पी0एल0ए0/डी0सी0एल0 में स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।

17-- उक्त बजट आंवटन अनुदान संख्या-7 (सामान्य) लेखा शीर्षक 2515-102-12-00-91 मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) अलोटमेट आईडी H1502070633 दिनॉक 7 फरवरी 2015 एवं एस0सी0एस0पी0 (अनुदान संख्या-30) H1502300603, H1502300478 दिनांक 5, 6 फरवरी 2015 के द्वारा व्यय किया जायेगा।

संलग्न:- सूची

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 95 /जि0यो0/2014-15 तददिनॉकित।

प्रतलिपिः--
1- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3- सचिव, वित्त (बजट अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, 100/6 नेशविला रोड़ देहरादून।
6- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी रूद्रप्रयाग।
8- मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
9- अर्थ एवं संख्याधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

	...दल सेतु हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण		
	सामान्य कार्य(पूल्ड आवास)	एक मुश्त	25.00
	...आवास के अन्तर्गत अवशेष कार्य(सामान्य कार्य)		704.25
	एस.सी.पी. कार्य	एक मुश्त	90.35
1	कोठगी मोटर पुल का अवशेष कार्य।	एक मुश्त	20.00
2	पुरानादेवल से धान्यौसारी तक पैदल मार्ग का निर्माण।	3.00	37.80
3	टिहरी–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढ़ेना नगेला–भेंट–एकलिंग कुडकालगांव–सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यू तक मोटर मार्ग 3 कि0मी0 (प्रथम चरण)	एक मुश्त	5.00
4	कोठगी झूला पुल पहुंच मार्ग पर रेलिंग का कार्य।	एक मुश्त	8.50
5	परकण्डी मोटर मार्ग से परकण्डी चिकित्सालय तक मोटर मार्ग का डामरीकरण।	एक मुश्त	15.00
6	घटूडी–रूनसी–छेला–काफल से चन्द्रेशवर महादेव मन्दिर के अवशेष कार्य।	एक मुश्त	6.00
7	तैलजाभण से बड़ेथ गदेरे पर पुलिया निर्माण।	एक मुश्त	5.00
8	ग्राम बावई से क्यार्क तक पदैल मार्ग।		187.6[illegible]
	कुल योग:–		891.9[illegible]

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग